

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 383

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

†*383. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पन्ना और कटनी जिलों तथा छतरपुर जिले के खजुराहो शहर में कितने आवास स्वीकृत और निर्मित किए गए हैं और कितने आवासों के लिए केंद्रीय सहायता जारी की गई है;

(ग) क्या पन्ना और कटनी जिलों तथा छतरपुर जिले के खजुराहो शहर में वंचित और शेष ईडब्ल्यूएस-शहरी गरीबों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में पीएमएवाई-यू के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 383* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालांकि, मध्य प्रदेश सहित देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में, अब तक, कुल 9.61 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 9.60 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 8.67 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है/आवास लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना और कटनी जिले तथा छतरपुर जिले के खजुराहो शहर में जारी की गई केंद्रीय सहायता सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवास/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों (मध्य प्रदेश के पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों सहित) में इनका कार्यान्वयन करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया।

इसके अलावा, उन 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश के लिए 50,000 आवासों सहित) को 6.92 लाख से अधिक आवासों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है, जिन्होंने पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए योजना दिशा-निर्देशों और एकीकृत वेब-पोर्टल का <https://pmay-urban.gov.in> का उपयोग किया जा सकता है।

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 383*

के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पन्ना और कटनी जिले तथा छतरपुर जिले के खजुराहो शहर के लिए जारी केंद्रीय सहायता सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवास/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	पन्ना जिला	कटनी जिला	खजुराहो शहर	मध्य प्रदेश
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	14,229	10,413	1,088	9,61,147
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	13,791	10,387	1,064	9,44,071
3	पूर्ण किए गए आवास/सौंपे गए आवास (संख्या)	10,607	9,519	982	8,52,134
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	214.04	162.41	16.33	15,930.45
5	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	188.87	150.53	15.35	15,555.00